मेसर्स मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड

बनाम

बी. एल. वाधेरा व अन्य

(स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 813/2007)

29 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.)

मामलों का स्थानांतरणः

स्थानांतरण याचिका- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाएं, रिट अपील और राज्य में दीवानी अदालतों के समक्ष लंबित कुछ दावों को स्थानांतरित करने की मांग - हाईकोर्ट के आदेश को एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई - अभिनिर्धारित - स्थानांतरण याचिका एवं एस. एल. पी. का निस्तारण अन्य बातों के साथ-साथ इस निर्देश के साथ किया गया कि पक्षकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दी गई तिथि पर उपस्थित होंगे- सभी रिट याचिकाओं को अंकितक किया जाएगा और उनकी सुनवाई एक खंड पीठ द्वारा रिट अपीलों के साथ की जाएगी - मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ अधीनस्थ अदालत में लंबित सिविल दावों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगी जिन्हे रिट याचिकाओं और रिट अपीलों के साथ लिया

जाएगा - यदि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद से जुड़े मामले तत्काल आदेश के बाद संस्थित किए जाते हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालय की उक्त खंड पीठ को सुनवाई हेतु स्थानांतरित कर दिया जाएगा - एसएलपी में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विवादित आदेश में संशोधन/हटाने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ व अन्य [2006] 5 एस. सी. सी. 28 उद्धृत।

सिविल मूल/अपीलीय क्षेत्राधिकार : स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 813/2007

साथ में

एस. एल. पी. (सी) सं. 21632/2007, एस. एल. पी. (सी) सं. 20238/2006, एस. एल. पी. (सी) सं. 20238/2006 में अवमानना याचिका (सी) सं. 275/2007 और टी. पी. (सी) सं. 813/2007 में अवमानना याचिका (सी) सं. 14/2008

याचिकाकर्ता के लिए मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, वी. कृष्णमूर्ति, राम जेठमलानी, सी. एस. वैद्यनाथन, सी. मुखोपाध्याय, अमित सिब्बल, टी. राजा, मेसर्स सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी और सेंथिल जगदीशन।

प्रत्यर्थीगण के लिए गोपाल सुब्रमण्यम, ए. एस. जी., पी. पी. राव, अशोक एच. देसाई, के. के. वेणुगोपाल, रविशंकर प्रसाद, अजीत कुमार सिन्हा, जितेंद्र मोहन शर्मा, रुद्रेश्वर सिंह, कौशिक पोद्दार, कुमार रंजन, गोपाल कुमार झा, संजय जैन, समीर पारेख (मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), विश्वजीत सिंह, अरविंद कुमार शुक्ला, डी. डी. कामत, श्वेता गर्ग, देवदत्त कामत, डी. एस. माहरा, सुपर्णा श्रीवास्तव और राजेश श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

जवाबी हलफनामा दाखिल करने में देरी को माफ किया जाता है। संशोधन की अनुमति दी गई।

स्थानांतरण याचिका में, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ रिट याचिकाओं, रिट अपीलों और अधीनस्थ न्यायालयो के समक्ष दायर दावों के हस्तांतरण के लिए प्रार्थना की गयी है।

एस. एल. पी. (सी) सं. 21632/2007 में रिट अपील संख्या 267/2007 में दिनांक 31.10.2007 को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी है।

स्थानांतरण याचिका और विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि उपरोक्त सभी मामलों में

विवाद के विषय को इस न्यायालय के निर्णय टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ व अन्य (2006 (5) एस सी सी 28) द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया है, उक्त मामले के निर्णय के प्रभाव को हटाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ मुकदमेबाजी की गई है और/या शुरू की जा रही है। प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने इसका सबल खंडन किया।

विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि न्याय के हित में सबसे अच्छा होगा यदि स्थानांतरण याचिका (स्थानांतरण याचिका में आई. ए. स. 2 और 3 के साथ) और विशेष अनुमति याचिकाओं का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता हैः

1. स्थानांतरण याचिका और आई. ए. सं. 2 व 3 में विस्तृत सभी रिट याचिकाओ और रिट अपीलो की सुनवाई एवं निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2008 तक किया जायेगा।

2. पक्षों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के 11.02.2008 को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है जिससे रिट याचिकाओं व रिट अपीलो पर सुनवाई शुरू करने के लिए पक्की तारीख तय की जा सके। यद्यपि सामान्यतः रिट याचिकाओ पर उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाती है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि रिट अपीलों की

सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जानी है, उन सभी रिट याचिकाओं को अंकितक किया जाएगा और एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

3. यह कहा गया है कि कुछ दावे अधीनस्थ अदालतों में लंबित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की पीठ ऐसे सभी मुकदमों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेंगे जिन्हे रिट याचिकाओ और रिट अपीलो के साथ लिया जाएगा।

4. यदि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद की प्रकृति से संबंधित मामले अब दायर होते है, तो ऐसे मामले उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओ और रिट अपीलो के साथ लिए जायेंगे जिनकी सुनवाई के निर्देश दिए गए है और यदि ऐसे दावे अधीनस्थ अदालतों में दायर होते है तो उन्हें उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के निर्देश दिए जाते है।

5. विशेष अनुमति याचिका के याचिकाकर्ता, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, रिट अपील संख्या 267/2007 में दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश में संशोधन/हटाने के लिए जिस पीठ द्वारा रिट याचिकाओ, रिट अपीलो और दावों की सुनवाई की जा रही है, के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे।

स्थानांतरण याचिका और विशेष अनुमति याचिका उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

अवमानना याचिका सं 14/2008 को उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रत्यहारित किया गया है।

पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पर कोई आदेश नहीं।

आर.पी.

स्थानांतरण याचिका और विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पलाश मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।